झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

द्वितीय–सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 20.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री मनोज कुमार यादव स0वि0स0	TVNL तेनुघाट में कोयला परिवहन के ठेकेदारी में घोर अनियमितताएँ बरती जा ही है। चहेतों को टेंडर दिलाने के लिए प्रबंधन सभी हथकंडे अपनाते है। कम्पटीटिव रेट देने वालों को टेंडर कोई न कोई बहाना बना कर रद्द कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला निविदा संख्या– 34/OT/CHP-II/TTPS/HOD/CONTRACT/13-14 दिनांक– 11.11.2013 है जो कोयला परिवहन का है। टेन्डर डालने की तिथि– 18.12.2013 है। जबकि GTC(Genral Terms & Conditions) की Clause संख्या– 13.1 के तहत यह स्पष्ट है कि टेन्डर की Bid-Validity Period सिर्फ टेन्डर डालने से चार महीने तक ही रहती है, अगर टेन्डर Bid मे Competition होता तो Rate Down होता TVNL के Rate को भी कोयला परिवहन के लिए CCL के Rate से तुलना करे तो TVNL का प्रति किलोमीटर Rate CCL के प्रति किलोमीटर में लगभग दोगुना है। अतः उक्त टेन्डर सहित परिवहन के तमाम टेन्डरों के निर्णय में बरती जा रही घोर अनियमितता की उच्चस्तरीय जाँच कराने हेतु मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूँ।	खनन एवं भूतत्व

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
02–	श्री पौलुस सुरीन एवं श्री अमित कुमार स०वि०स०	सिमडेगा जिला अन्तर्गत बानो प्रखण्ड में सोय पंचायत के ग्राम– एल्वा, सिजाँग, केऊद टोली, सोय समेर टोली, बरबेड़ा, महाबुआंग, तीन सोगड़ा, बुकाटोलीमहाबुआंग, तीन सोगड़ा, अम्बा टोली, सरना टोली, सिजाक करंजटोली, कोनसोदे पंचायत के ग्राम– जलडेगा (गोसाईटोली) कोनसोदे पंचायत भवन, बुजगा कुला, दुरुम, कोनसोदे बारटोली, भण्डारा टोली, मुण्डा टोली, महतो टोली, माटु टोली, बड़काडुईल पंचायत के बड़काडुईल ग्राम– लामगढ़ पंचायत के ग्राम बिन्तुका, पांगुर, सिमहातू ग्राम के पंचायत–सिमहातु, डारापानी, सिमहातु वार्ड नं०–5, जामताई पंचायत के ग्राम हुरदा, जामताई, जामताई पाहन टोली, कोहिपाट, राईकेरा के पंचायत के ग्राम–मदानी, रायकेरा (जोजो टोली) टेम्बारो, कोटा, गिरजा टोली, बांकी पंचायत के कनरवाँ ग्रम साहुबेड़ा पंचायत के लताकेल पागुड़ा के नितुर ग्राम– कनारोवा के जराकेल ग्राम एवं अकौली चोरबंदू में ट्रांस्फर्मर जला हुआ है। अतः मैं अविलम्ब ट्रांस्फर्मर उपलब्ध कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	ऊर्जा
03–	डॉ० अनिल मुरमू स०वि०स०	राज्य के कई जिलों राँची, लातेहार, जमशेदपुर, दुमका, चतरा, बोकारो आदि में मनरेगा योजना के तहत् वित्तीय संकट गहरा गया है इस योजना में मजदुरों को भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपया बाकी है भुगतान नहीं होने से योजनाऐं प्रभावित हो रही है मजदुर भुखों मरने के कगार पर है तथा नई योजनाएँ शुरु नहीं होने से राज्य के मजदुरों का पलायन बढ़ेगा। अतः मनरेगा योजना के तहत मजदुरों का बकाया भुगतान एवं पूरे राज्य में अविलम्ब नई योजनाएँ शुरु कराकर रोजगार सृजन करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
04-	सर्वश्री रघुनन्दन मण्डल, अशोक कुमार एवं श्री ताला मराण्डी स0वि0स0	गोड्डा जिलान्तर्गत पोड़ैयाहाट प्रखण्ड के भटौंधा गाँव के पास 17 मई, 2014 को हुई बस दुर्घटना में 16 (सोलह) लोगों की आकस्मात मृत्यु हुई थी। दुर्घटना के पश्चात् तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा सभी मृतक के आश्रितों को 01-01 लाख रूपये की मुआवजा राशि की घोषणा की गई थी, परन्तु आज लगभग 10 माह बाद भी उक्त मुआवजा की राशि मृतक के आश्रितों तक नहीं पहुँच पाई है। बस दुर्घटना के सभी मृतक नगर थाना गोड्डा अन्तर्गत रौतारा, बड़ौना गाँव के रहनेवाले तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले श्रेणी से है। मैं उक्त बस दुर्घटना में मृत सभी 16 परिवार के आश्रितों को पूर्व घोषित राशि के साथ-साथ आवास, पेंशन तथा बृद्धापेंशन देने की माँग सदन द्वारा सरकार से करता हूँ।	आपदा प्रबंधन
05-	श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0	दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक- 28.12.2013 को प्रकाशित निविदा संख्या- 18/2013-14 में गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखण्ड के औरा पंचायत स्थित घुठीवार ग्राम में लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना निर्माण 30.620 लाख रूपये का प्राक्कलित राशि की झूठी निविदा प्रकाशित की गयी । जिसके एवज में संवेदकों ने टेण्डर डाल दिये। तत्पश्चात् तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता प्रमण्डल 2 गिरिडीह के पत्रांक- 28 दिनांक- 08.01.2014 द्वारा उक्त प्राक्कलित योजना की स्वीकृति हेतु अभियंता प्रमुख पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता गिरिडीह-2 ने वगैर स्वीकृति के अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद के पत्रांक- 337, दिनांक- 02.05.2014 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। जो वित्तीय अनियमितता की कोटी में आता है। पुनः कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पत्रांक- 747, दिनांक- 28.07.2014 उक्त प्राक्कलित योजना की स्वीकृति हेतु अभियन्ता प्रमुख से अनुरोध किया। अतएव नियम विरूद्ध कार्य करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा उक्त योजना को नियमित करते हुए शीघ्र पूरा कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता

राँची
दिनांक- 20 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0–02/2015–1525/वि0स0,राँची,दिनांक– 19/3/15

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/खनन एवं भूतत्व विभाग/ ऊर्जा विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0–02/2015–1525/वि0स0,राँची,दिनांक– 19/3/15

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

19.03.15